

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या नया न0 14/2025

वाद दायरी दिनांक :- 29.04.2022

फ.सद शेख पुत्र अकबर शेख जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 10. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी

बनाम

1. अनवर पुत्र कादर जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2. मोला पुत्र कादर जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) मृतक
- 2/1. कयूम पुत्र मोला जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
- 2/2. तौफीक पुत्र मोला जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
- 2/3. अल्ताफ पुत्र मोला जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा 3 तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
3. माहम्मद पुत्र कादर जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
4. अलामेहर पुत्र मोती जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
5. सकूरन पुत्री मोती जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
6. नजमा पुत्री मोती जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
7. भंवरा पुत्र सलाउदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
8. सकूर पुत्र सलाउदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
9. फारुक पुत्र सलाउदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
10. लाला पुत्र सलाउदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
11. इदरीश पुत्र सलाउदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

48. कृतबुदीन पुत्र धिरागुदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू (राज.)
49. मुमताज पुत्र धिरागुदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू (राज.)
50. वजीर पुत्र धिरागुदीन जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू (राज.)
51. निजामुदीन पुत्र हासम जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू (राज.)
52. लुकमान पुत्र हासम जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 11, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू (राज.)
53. राजरथान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा घोषणा विभाजन एवं रथाई निपंधाज्ञा
निर्णय

दिनांक:- 15.05.25

राक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 465 के वर्तमान खसरा नम्बर 1696 रकवा 0.700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697 रकवा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1974 रकवा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1975 रकवा 0.38 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकवा 1.87 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 710/3 रकवा 7 बीघा 8 विश्वा तथा 710/3 मी. भूमि रहे है। वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 705 के वर्तमान खसरा नम्बर 1690 रकवा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1691 रकवा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 1694 रकवा 1.44 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 3.06 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसके गतखसरा नम्बर 703/3 रकवा 2 बीघा 12 विश्वा तथा 701/9 रकवा 11 विश्वा तथा 5 बीघा 14 विश्वा भूमि रहे है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पहले जमाल की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है जिसकी वंशावली निम्न प्रकार से है वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि आई जिस पर वह काबिज काश्त हो गया। तथा जमाल के अन्य पुत्रों वजीर, कादर व ज्यानी के हिस्से में वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि आई जिस वे तीनों वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में प्रत्येक 1/3 - 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त हुये। जमाल के स्वर्गवास होने के बाद जब उनकी हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में उनके पुत्रों का नाम दर्ज हुवा तो गलती व सहवन से जमाल के पुत्र अकबर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया तथा वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में वजीर और कादर का नाम दर्ज हो गया तथा वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में केवल ज्यानी अकेले के नाम गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया। जबकि मौके पर वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि पर वजीर कादर और ज्यानी तथा उनके वारिसान बराबर बराबर काबिज काश्त है तथा वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पर अकबर व उसके वारिसान काबिज काश्त है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि जमाल के पुत्र अकबर के हिस्से में आई जिस पर वह काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में जमाल के नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से दर्ज होने

मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्डुनू (राज.)

स रह गया। जबकि उक्त भूमि पर जमाल तथा उसके बाद उसके वारिसान कुर्रुदा फरीद व चीरागुदीन काबिज कास्त हुवे। लेकिन आपसी बंटवारे में अकबर के पुत्र कुर्रुदा व चीरागुदीन को अन्य भूमि मिल गई और वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि अकबरे फरीद के हिस्से में आई जिस पर फरीद पुत्र अकबर अपने रिहायसी मकान बना कर काबिज कास्त है। इसलिए वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे वजीर व कादर के वारिसान का नाम हजफ फरमाते हुवे वादी को अकबरे को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित फरमाया जावे। वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे वजीर, कादर तथा ज्यानी प्रत्येक को 1/3 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार मानते हुए वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर आदेश निम्न प्रकार फरमाया जावे कि

(क) यह कि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 465 के वर्तमान खसरा नम्बर 1696 रकबा 0.700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1974 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1975 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड पर को दुरुस्त करते हुवे वजीर व कादर के वारिसान का नाम हजफ फरमाते हुवे वादी को अकबरे को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित फरमाया जावे।

(ख) यह कि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 705 के वर्तमान खसरा नम्बर 1690 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.44 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.06 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे कादर के वारिसान प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा वजीर के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 25 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का तथा ज्यानी के वारिसान 27 लगायत 32 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हां तो निर्वाचित तिथि को न्यायालय में उपसजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी नं० 1, 02,07,08,09,11,15,18,20,21,22,23, 26 लगायत 37, 39, 41 लगायत 45, 48 लगायत 51 की ओर से अनिमापक उपस्थित तथा इकबालिया जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी नं० 03 लगायत 06, 10, 12 लगायत 14, 16,17,19,25, 38,40,46,47, 52,53 वाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण की ओर से स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। जिस पर दस्तावेज प्रदर्श 1. जमाबन्दी सम्वत 2074-77, प्रदर्श -2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श -3 जमाबन्दी सम्वत 2069-72, प्रदर्श -4 2065-68, प्रदर्श- 5 जमाबन्दी वर्ष 2006, प्रदर्श-6 जमाबन्दी सम्वत 2032-35, प्रदर्श-7 जमाबन्दी 2029-32, प्रदर्श-8 जमाबन्दी 2041-44, प्रदर्श- 10 भू-राजस्व अधिनियम 121 फार्म संख्या 01, प्रदर्श- 10 मिलान क्षेत्र, प्रदर्श 11 जमाबन्दी 2074-77, प्रदर्श 12 जमाबन्दी 2062-65, प्रदर्श 13 जमाबन्दी वर्ष 2006, प्रदर्श-14 2069-72, प्रदर्श-15 जमाबन्दी सम्वत 2065-68, प्रदर्श-16 जमाबन्दी सम्वत 2032-35, प्रदर्श-17 जमाबन्दी सम्वत 2032-35, प्रदर्श-18 खसरा गिरदावरी 2029, प्रदर्श-19 खसरा गिरदावरी 2019 प्रदर्श-20 खसरा गिरदावरी 2009, प्रदर्श-21,22 खसरा गिरदावरी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

2009, प्रदर्श-23 व 24 खसरा गिरदावरी 2013, प्रदर्श -25 खसरा गिरदावरी 2025, प्रदर्श-26 खसरा गिरदावरी 2019, प्रदर्श- 27 चासरा गिरदावरी 2025 प्रदर्शित किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डावा तहसील मण्डवा जिला झुन्डुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 465 के वर्तमान खसरा नम्बर 1696 रकबा 0. 700 हैक्टर, खसर नम्बर 1697 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1974 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1975 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड पर को दुरुस्त करते हुवे वजीर व कादर के वारीसान का नाम हजफ फरमाते हुवे वादी को अकेले कोवाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार व वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डवा जिला झुन्डुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 705 के वर्तमान खसरा नम्बर 1690 रकबा 0. 66 हैक्टर, खसर नम्बर 1691 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.44 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.06 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे कादर के वारिसान प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा वजीर के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 25 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का तथा ज्यानी के वारिसान 27 लगायत 32 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज जमाल के नाम से रही है। प्रस्तुत सजरे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी न0 33 लगायत 52 अकबर के वारीसान है तथा उक्त अकबर पूर्व खातेदार जमान का पुत्र है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने कारण बराबर हक हिस्सा बनता है। अतः वादी गण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एवं प्रतिवादी गण के इकबालिया जबाब दावा के अनुसार वाद आंशिक रूप से वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।


निर्णय

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम मण्डावा तहसील मण्डवा जिला झुन्डुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 465 के वर्तमान खसरा नम्बर 1696 रकबा 0. 700 हैक्टर, खसर नम्बर 1697 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1974 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1697/1975 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 हैक्टर में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर वादी को सम्पूर्ण हिस्से में से 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी न0 33 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 34 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 35 लगायत 38 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 39 लगायत 44 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 45 लगायत 47 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 48 लगायत 50 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/4-1/4-1/4 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी न0 51 लगायत 52 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डवा जिला झुन्डुनू की सरहद

अधिकारी
मण्डावा

में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 705 के वर्तमान खसरा नम्बर 1690 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.44 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.06 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर कादर के वारिसान को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से निम्नानुसार (प्रतिवादीगण संख्या 1,02(2/1से 1/2) व 03 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से कमशः 1/6-1/6-1/6 बहिस्सा, प्रतिवादी न0 04 लगायत 06 तक को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/6हिस्सा, प्रतिवादी न0 07 लगायत 14 तक को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/6हिस्सा, प्रतिवादी न0 15 लगायत 17 तक को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/6हिस्सा,) तथा यजीर के वारिसान को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से निम्नानुसार प्रतिवादी न018 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/2हिस्सा, प्रतिवादी न019 लगायत 26 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/2हिस्सा बराबर, तथा ज्यानी के वारिसान को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से निम्नानुसार प्रतिवादी न0 27 व 28 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से का बराबर, प्रतिवादी न0 29 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी न0 30 लगायत 32 को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से का बराबर, खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


मुन्सिफ़ अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
मुन्सिफ़